राजस्थान सरकार

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग

डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल ब्लाक नं. 8, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राजस्थान)-302015

क्रमांकःप.25( )निभापुवि/शै.प्र./सला.समि.गठन/16/ 15908-15988 जयपुर, दिनांक 26/8/16

संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर,

....

....

विषय :- विभाग के अधीन संचालित राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिये गठित सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में विभाग के अधीन संचालित राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों की प्रोन्नति और विकास के लिए दिनांक 20 अप्रैल, 2006 को पारित राजस्थान पुस्तकालय अधिनियम, 2006 की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के नियम, 2012 के बिन्दु संख्या 6(1से4) के अनुसार राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिये प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग के आदेश क्रमांक एफ.6(22)प्र.सु./अनु.3/2016 दिनांक 04.08.2016 द्वारा जारी संलग्न स्वरूपानुसार पुस्तकालय सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। निर्णयानुसार गैर सरकारी सदस्यो के मनोनयन हेतु- राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय के लिये राज्य सरकार को, मण्डल स्तर के लिये संभागीय आयुक्त को तथा जिला एवं पंचायत समिति स्तर के पुस्तकालयो के लिये जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। तत्पश्चात् राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय के लिये राज्य सरकार, मण्डल स्तर के लिये संभागीय आयुक्त तथा जिला एवं पंचायत समिति स्तर के पुस्तकालयो के लिये जिला कलेक्टर द्वारा गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन किया जाकर प्रशासनिक विभाग, भाषा एवं पुस्तकालय द्वारा सलाहकार समितियों का गठन किया जाना है। राजस्थान राज्य पुस्तकालय परिषद् की भांति पुस्तकालय सलाहकार समितियों के नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार मण्डल/जिला व पंचायत समिति पुस्तकालयों की सलाहकार समितियों के लिए गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन कर प्रस्ताव भाषा एवं पुस्तकालय विभाग को अविलम्ब प्रेषित करावें, ताकि तदानुसार सलाहकार समितियों के गठन की कार्यवाही की जा सकें।

<u>सलंग्न :- प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग द्वारा जारी सलाहकार समितियों के गठन के आदेश की प्रति।</u>

24/8/16

(नरेश पाल गंगवार)
शासन सचिव
स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय

E:\saurabh2015

पता :- डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
दूरभाष नम्बर - 0141-2703387 (फैक्स), 2703390
ई-मेल आई. डी. directorlibraries@gmail.com

राजस्थान सरकार

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग

डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल ब्लाक नं. 8, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राजस्थान)–302015

क्रमांकःप.25( )निभापुवि/शै.प्र./सला.समि.गठन/16/15908-15988 जयपुर, दिनांक 26/8/16

1. समस्त मण्डल / जिला पुस्तकालयाध्यक्ष, राजकीय सार्वजनिक राज्य केन्द्रीय / मण्डल / जिला पुस्तकालय / पंचायत समिति पुस्तकालय ....को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने एवं जिले में संचालित पंचायत समिति पुस्तकालयों के लिये गठित की जाने वाली सलाहकार समितियों हेतु गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन हेतु संभागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर से अनुरोध कर शीघ्र कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
निदेशक एवं
पदेन शासन उप सचिव
भाषा एवं पुस्ताकलय विभाग,
राजस्थान, जयपुर

पता :– डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
दूरभाष नम्बर – 0141–2703387 (फैक्स), 2703390
ई–मेल आई. डी. directorlibraries@gmail.com

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3)विभाग

क्रमांकःएफ.6(22)प्र.सु./अनु.3/2016/ जयपुर, दिनांक 04-08-2016

आदेश

राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2006 की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के नियम, 2012 के बिन्दु संख्या 6(1से4) के अनुसार राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिये निम्न स्वरूपानुसार पुस्तकालय सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है :-

1. <u>राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय के लिए -</u>

राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित से मिलकर राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय हेतु निम्नानुसार सलाहकार समिति गठित की जावेगी, जिसमें कम से कम एक सदस्य महिला होगी एवं समिति का अध्यक्ष, समिति की बैठक में, यदि वह किसी विशिष्ट कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक समझे तो किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले एक व्यक्ति को आंमत्रित भी कर सकेगा।

1.	निदेशक, सार्वजनिक पुस्तकालय	अध्यक्ष
2.	विश्वविद्यालय पुस्तकालय का एक पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष	सदस्य
3.	पुस्तकालय क्रियाकलापों का संचालन करने वाले किसी गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य
4.	पुस्तकालय का एक नियमित पाठक/उपयोक्ता	सदस्य
5.	निम्नलिखित में से तीन शिक्षाविद्	
	(क) एक विद्वान	सदस्य
	(ख) एक प्रबंध/तकनीकी विशेषज्ञ	सदस्य
	(ग) एक ललित कला विशेषज्ञ	सदस्य
6.	राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष	सदस्य सचिव

2. <u>राजकीय सार्वजनिक मण्डल पुस्तकालय के लिए -</u>

राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित से मिलकर मण्डल(खण्ड) पुस्तकालय हेतु निम्नानुसार सलाहकार समिति गठित की जावेगी। जिसमें कम से कम एक सदस्य महिला होगी-

1.	खण्ड (संभागीय) आयुक्त याें उसका प्रतिनिधि जो अपर खंड आयुक्त से अनिम्न रैंक का न हो	अध्यक्ष
2.	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय पुस्तकालय का एक पुस्तकालयाध्यक्ष	सदस्य
3.	पुस्तकालय क्रियाकलापों का संचालन करने वाले किसी गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य
4.	पुस्तकालय का एक नियमित पाठक/उपयोक्ता	सदस्य
5.	एक पुस्तकालय विशेषज्ञ	सदस्य
6.	दो शिक्षाविद्/विद्वान	सदस्य
7.	खण्ड पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष	सदस्य सचिव

3. <u>राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय के लिए -</u>

राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित से मिलकर जिला पुस्तकालय हेतु निम्नानुसार सलाहकार समिति गठित की जावेगी। जिसमें कम से कम एक सदस्य महिला होगी-

1. कलक्टर या उसका प्रतिनिधि जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जिला स्तरीय अधिकारी से अनिम्न रैंक का न हो — अध्यक्ष
2. महाविद्यालय पुस्तकालय का एक पुस्तकालयाध्यक्ष — सदस्य
3. पुस्तकालय क्रियाकलापों का संचालन करने वाले किसी गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि — सदस्य
4. पुस्तकालय का एक नियमित पाठक/उपयोक्ता — सदस्य
5. एक शिक्षाविद्/विद्वान — सदस्य
6. जिला पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष — सदस्य सचिव

4. **राजकीय सार्वजनिक पंचायत समिति पुस्तकालय के लिए –**

निदेशक द्वारा निम्नलिखित से मिलकर पंचायत समिति पुस्तकालय हेतु निम्नानुसार सलाहकार समिति गठित की जावेगी। जिसमें कम से कम एक सदस्य महिला होगी–

1. उप खण्ड अधिकारी — अध्यक्ष
2. पुस्तकालय का एक नियमित पाठक/उपयोक्ता — सदस्य
3. एक शिक्षाविद्/विद्वान — सदस्य
4. संबंधित पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष — सदस्य सचिव

इस हेतु गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन हेतु राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय के लिये राज्य सरकार, मण्डल स्तर के लिये संभागीय आयुक्त तथा जिला एवं पंचायत समिति स्तर के पुस्तकालयों के लिये जिला कलेक्टर को अधिकृत किया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन किये जाने के पश्चात प्रशासनिक विभाग, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा सलाहकार समितियों का गठन किया जावेगा। नाम निर्देशित सदस्य उनके नामनिर्देशन की दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये पद धारित करेंगें।

उक्त सलाहकार समितियों का प्रशासनिक विभाग भाषा एवं सलाहकार विभाग होगा।

(श्यामसिंह राजपुरोहित)
शासन विशिष्ठ सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा व भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर।
5. महानिदेशक, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकता।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर/ उपखण्ड अधिकारी सदस्यगण।
7. निजी सहायक, निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

(के.के.खण्डेलवाल)
अनुभाग अधिकारी